

(174)



न्यायालय श्री मान गृह्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल रावालियर म0प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक

८७४-III/13 सन 2013

रामदीन तनय खंचौरी ढीमर निवासी

ग्राम आलीपुरा तहसील नौगांव जिला

छतरपुर मध्य प्रदेश

निगरानी कर्ता

वनाम

राजेन्द्र तिह तनय स्प तिह ठाकुर निवासी

ग्राम आलीपुरा तहसील नौगांव जिला छतरपुरम0प्र० प्रत्यार्थी

क्रमांक - २१०५, अधीक्ष
द्वारा आज दे २६/३ क
संस्कृत

क्रमांक ५६१३
क्रमांक द्वारा दे २६/३

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र० भू० रा० स०

निगरानी विस्त्र आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर

छतरपुर जिला छतरपुरम0प्र० राजस्व प्रकरण क्रमांक 177/

निगरानी/08-09 आदेश दिनांक 10.4.13 जिसके

अनुसार आवेदक/निगरानी कर्ता की निगरानी निरस्त
की गयी ।

3

१५/२१ मा०/१९
१८/०३/१३

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2178-दो/2013

जिला- छतरपुर

रामदीन विरुद्ध राजेन्द्र सिंह

तारीख दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२-०८-१९	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 177/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को आयुक्त, सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	 (जे0 के0 जैन)  सदस्य